नियम–62 के अन्तर्गत श्री राकेश जम्वाल, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रस्ताव की सूचना ।

प्रस्ताव

"पानी की निकासी न होने से टुटा सुन्दरनगर बस अड्डा।

मैं सरकार का ध्यान, अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक पानी की निकासी न होने से टूटा सुन्दरनगर बस अड्डा, की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मामले की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है:–

बस अड्डा सुन्दरनगर का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम के माध्यम से करवाया गया है । इसके निर्माण हेतु मु0 1.37 करोड रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 19.10.2006 को प्रदान की गई थी तथा इस बस अड्डे का निर्माण कार्य दिनांक 15.11.2011 को पूर्ण कर लिया गया था तथा यह बस अड्डा कार्यशील है ।

बस अड्डा सुन्दरनगर का निरीक्षण स्थानीय विधायक सुन्दरनगर द्वारा दिनांक 13.04.2018 को किया गया तथा बस अड्डे में पड़े गड्ढों बारे अपनी नाराजगी जाहिर की थी तथा दिनांक 14.07.2018 को इस बारे दैनिक सवेरा में समाचार प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात् बस अड्डे पर पड़े गड्ढों को भरने के लिए ईंट का फर्श डालने का प्राक्कलन तैयार कर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मु0 7.94 लाख रूपये की प्रदान की गई । वर्ष 2019 में इसके निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित की गयी तथा निर्माण कार्य श्री गुलेर मोहम्मद ठेकेदार को मु0 6,91,600 रूपये में आबंटित किया गया था, तथा यह कार्य दिनांक 04.04.2019 को पूर्ण कर लिया गया है ।

बस अड्डा, सुन्दरनगर में पानी की निकासी के लिये भूमिगत पाईप बिछाई गई है जहां पर सारे बस अड्डे का पानी ईकट्ठा होकर सीधा खड्ड में जाता है। जब कभी बरसात अधिक होने के कारण सारा कूड़ा ईत्यादि वहां पर जमा हो जाता है तो प्रबन्धन द्वारा उसकी सफाई इत्यादि की जाती है ताकि पानी बस स्थल पर न फैले । इसके अतिरिक्त यह भी अवगत किया जाता है कि बस अड्डा, सुन्दरनगर के बाहर उच्च राष्ट्रीय मार्ग–21 गुजरता है, जिसकी एक तरफ की ढलान बस अड्डे की ओर है, जिससे वर्षा के पानी का प्रवाह सीधे बस अड्डे की ओर हो जाता है जिससे बस अड्डे के स्थल को क्षति पहुंचती है तथा जिसकी वजह से बस अड्डा कहीं–2 से उखड़ रहा है ।

इसके उपरान्त जुलाई 2021 में पूरे बस यार्ड में इंटर लॉकिंग पेवर डालने की मांग उठाई गई, परन्तु बस यार्ड में एक पार्क है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगता है जिसमें कुछ वृक्ष है जिन्हें वहां से हटाना अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए दिनांक 15.07.2021 को क्षेत्रीय प्रबन्धक सुन्दरनगर से वृक्ष हटाने बारे सम्बन्धित विभाग से मामला उठाने हेतु पत्राचार किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बस अड्डा सुन्दरनगर में इंटर लॉकिंग पेवर (Interlocking pavers) डालने के लिए मु0 1.98 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा निमार्ण कार्य वृक्ष हटाने के बाद ही सम्भव होगा ।

––––––